न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 69/2019

GCMS No. 2019/00209

प्रार्थी:–

मगनाराम पुत्र गणाराम जाति मीणा निवासी खौड तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. जगदीश कुमार पुत्र अचलाराम जाति नाई निवासी खौड़ तहसील रानी जिला पाली
2. ग्राम पचांयत खौड़ जरिये सरपंच तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री झुंझाराम परमार

–: निर्णय :–

दिनांकः–13.2.24

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 53/2015–16 प्रस्ताव संख्या 02 की पालना में अप्रार्थी जगदीश के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 20.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने वक्त बहस पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खौड़ में दादावाड़ी बस स्टेण्ड के पास पुश्तैनी भुखण्ड आया हुआ है, जिसके पड़ौस उत्तर में सार्वजनिक चौक ,दक्षिण में कालुराम की दुकान, पुर्व में दादावाड़ी का चौक एवं रास्ता तथा पश्चिम में छात्रावास की दिवार आयी हुयी है, जिस पर प्रार्थी का करीब 30 वर्षो से अधिक समय से बहैसियत मालिकाना हक एवं आधिपत्य है जिस पर प्रार्थी का केबिन रखा हुआ है जिसमें प्रार्थी मोटर साईकिल, कार के पंचर निकालने का काम करता है जिसमे संबंधित सामान एवं टायर रखे हुये है, जिससे पास ही चिपते हुए दक्षिण में कालुराम की पक्की दुकान है जिसमे कालुराम व्यवसाय कर रहा है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत ने जारी किया है। प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा उक्त परिसर से कब्जा हटाने हेतु नोटिस जारी किया, जिस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत में आवेदन पेश कर उक्त कब्जाशुदा परिसर का कब्जा बनाने हेतु निवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने की सहमति प्रदान की लेकिन ग्राम पंचायत ने बार बार निवेदन करने के पश्चात भी पट्टा जारी नही किया। वर्ष 2016 में अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी के कब्जाशुदा परिसर मे केबिन के पास रखे सामान को हटाकर जबरदस्ती कब्जा कर पक्का निर्माण करने की नाजायज कोशिश की जिस पर विकास अधिकारी को लिखित आवेदन पेश करने पर पंचायत समिति रानी ने उक्त विवादित परिसर पर स्थगन आदेश जारी कर मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये जिसके के आधार पर मौके पर अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया। उक्त परिसर के संबध में अप्रार्थी संख्या 01 ने कहा कि इसका ग्राम पचांयत ने मेरे नाम से पट्टा जारी कर दिया है जिस पर ग्राम पंचायत में नकल का आवेदन लगाने पर किसी प्रकार की नकले प्रार्थी को उपलब्ध नही करवायी गयी। वर्ष 2015 में भी बिना किसी आधार के प्रार्थी के कब्जाशुदा परिसर पर अप्रार्थीगण ने आपस मे मिलकर प्रार्थी का कब्जा हटाने हेतु कार्यवाही की थी। उक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी को बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये एक पक्षीय कार्यवाही की

अति. जिला कलक्टर, पाली

गयी जिसके संबध में भी ग्राम पंचायत से उपरोक्त कार्यवाही से संबधित रेकर्ड हेतु नकल का आवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 ने नकले नही उपलब्ध करवायी गयी। प्रार्थी द्वारा बार–बार आवेदन करने पर दिनांक 07.11.2019 को जैर निगरानी पट्टे की प्रति एवं मिसल उपलब्ध करवायी जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टे की समस्त कार्यवाही टाईपशुदा मिसल में नाम इन्द्राज कर एक दिन में ही अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया। उक्त जैर निगरानी परिसर पर अप्रार्थी संख्या 01 का कभी कब्जा रहा ही नही जबकि प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा है एवं एकमात्र प्रार्थी का रोजगार का साधन है। जिस पर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया गया। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पंचायत राज नियम 146 के तहत तीन पंचों की नियुक्ति नही की गयी न ही नियम 148 के तहत किसी प्रकार का आपत्ति इश्तेहार जारी किया गया। जैर निगरानी आराजी एक व्यवसायिक भुखण्ड है जिसे मात्र निलामी के आधार पर राज.पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143(3) के अनुसार ही पट्टा जारी किया जा सकता है। जैर निगरानी पट्टा पंजीबद्व पट्टा होने पर भी उसे खारिज करने का अधिकार श्रीमान को है जिसके संबध में वकिल प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त 2021(1)डीएनजे 186एवं 2020(1) आरआरटी 566 (राज) पेश किये। अतः जैर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

वकिल अप्रार्थी से वक्त बहस कथन किया की ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा जैर निगरानी पट्टा पंचायत राज. नियमों के तहत जारी किया है एवं उप पंजीयक कार्यालय रानी में पंजीयन किया हुआ है, जिससें जैर निगरानी पट्टा को निरस्त करने का अधिकार क्षैत्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है श्रीमान के क्षैत्राधिकार में नही है। जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 01 का पुश्तैनी कब्जा है जिसके आधार पर पट्टा धारक ने ग्राम पंचायत में नियमानुसार पुश्तैनी कब्जाशुदा आराजी का पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पेश किया गया जिस पर पंचायती राज नियमों के तहत जैर निगरानी आराजी के निरीक्षण के लिए तीन पंचों का कोरम बनाकर निरीक्षण करवाया गया जिस पर कोरम के सभी सदस्य, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर है एवं नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी करवाया गया जिस पर नियमानुसार दो गवाहो के हस्ताक्षर है जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने के कारण होने कारण नियमानुसार 170/– रूपये प्रति वर्ग फुट की दर से कुल 24310/– रूपये ग्राम पंचायत में जमा करवाने पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। जैर निगरानी पट्टा आबादी भुमि में पुश्तैनी कब्जाशुदा आराजी का जारी किया गया है ऐसे में निलामी की प्रक्रिया अपनाना जरूरी नही है। जैर निगरानी पट्टे के संबध में सिविल कोर्ट में स्टे जारी किया है एंव वर्तमान में भी अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा है। अतः समस्त कार्यवाही पंचायत राज नियम के अनुसार की गई है इसलिए जैर निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने पक्ष की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त 2007(2)डीएनजे राज पेज संख्या 976 एवं 2021(1)डीएनजे राज पेज संख्या 186 पेश किये।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजो व ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत खोड़ द्वारा मिसल संख्या 53/2015–16 प्रस्ताव संख्या 06 की पालना में अप्रार्थी जगदीश पुत्र अचलाराम के पक्ष में जारी पट्टा सख्या 01 दिनांक 20.11.2015 के विरूद्ध पेश किया गया है। अप्रार्थी सख्या 01 द्वारा दिनांक 30.06.2015 को पुश्तैनी कब्जाशुदा **दुकान का पट्टा** जारी करने हेतु आवेदन पेश किया जिसके आधार यह स्पष्ट है की अप्रार्थी संख्या 01 अपनी **दुकान का पट्टा** बनवाने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया है चूंकि दुकान का प्रयोजन वाणिज्यिक है न की आवासीय प्रयोजन। ऐसे मे जैर निगरानी पट्टा पंयायती राज नियम 143(3) के तहत जारी किया जाना चाहिए जिसमें उल्लेखित है कि "निवासीय प्रयोजन के लिए 100 वर्गगज या अधिक के, और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए 200 वर्ग फुट तक के किसी भी क्षैत्र को इधर–उधर स्थित भुखण्ड के रूप में नीलाम किया जायेगा" जैर निगरानी पट्टा 143 वर्गफीट का दिया हुआ है जिसमे किसी प्रकार की निलामी प्रक्रिया नही अपनाकर जिला स्तरीय दर निर्धारण कमेटी बनाकर दर निर्धारित कर शुल्क जमा करवाया गया। पत्रावली में इस संबध में किसी प्रकार स्पष्ट नही है कि उक्त दर का निर्धारण किस आधार पर किया गया है। जैर निगरानी प्रकरण में प्रारूप 22 में नियम 148 के तहत आपत्ति इश्तेहार जारी किया गया। नोटिस ग्राम पंचायत की एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे एसपीएल 1 दिनांक 05.09.2015 द्वारा जारी किया गया है जिसे किसी एसपीएल 1 से जारी

अति. जिला कलक्टर, पाली

नही कर ग्राम पंचायत में संधारित दर्ज रजिस्टर के क्रमांक के अनुसार जारी करना चाहिए था लेकिन प्रकरण में ऐसा नही किया गया जो सन्देह के दायरे में आता है। पट्टा धारक स्वयं ने अपने आवेदन में यह स्वीकार किया है कि वह अपनी **दुकान का पट्टा** चाहता है जिसका वह व्यवसायिक उपयोग कर रहा है। बिना निलामी से सार्वजनिक भुमि को आवंटन करने का प्रावधान नियम 1996 में नही है। इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है, जिसके संबध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 568 आरआरटी 2020(1) मे स्पष्ट है एवं अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा उप पंजीयक कार्यालय रानी में पंजीयन है ऐसी में जैर निगरानी पट्टे को खारिज करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है जिसके संबध मे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2020(1) पेज संख्या 566 के अनुसार यह बाध्यता नही है कि रजिस्टर्ड पट्टे को खारिज करवाने हेतु सिविल वाद ही पेश किया जाये, रजिस्टर्ड पट्टे के संबध में पंचायती राज नियमों के तहत इस न्यायालय को भी समान अधिकार प्राप्त है, जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने नियमो से परे जाकर राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम में विहित प्रावधानों व प्रकिया की अनदेखी व अवहेलना करते हुए अप्रार्थी जगदीश कुमार के नाम नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खौड द्वारा मिसल संख्या 53/2015–16 संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.11.2015 की पालना में अप्रार्थी जगदीश पुत्र अचलाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 20.11.2015 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 13/2/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली